सं.सं.– ह०क० 480 (विविध/शीप एण्ड ऊल विवर्स यूनियन)–02/2015

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के दो शीर्ष संघ यथा–बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना एवं दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विवर्स को– ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना को उत्पादन कार्य एवं बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक संघ को एक–एक करोड़ रू0 कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए दो करोड़ रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति हेतु उद्योग विभाग का ज्ञापांक– 1073 दिनांक 02.03.2016 द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में योजना क्रियान्वयन का दिशा–निर्देश।

1. बिहार राज्य बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना एवं दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विवर्स को– ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना को उत्पादन कार्य एवं बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्यशील पूँजी उपलब्ध करायी जाएगी। संघ द्वारा कार्यशील पूँजी से संबद्ध समितियों की आवश्यकता एवं माँग के अनुसार कच्चा सूत/सिल्क/ऊल यार्न की खरीद कर उनको उपलब्ध कराना है जिससे समितियाँ विभिन्न प्रकार के सूती एवं रेशमी वस्त्र/कम्बल का उत्पादन करेगी। उत्पादित हस्तकरघा वस्त्रों/ कम्बलों का विपणन दोनों शीर्ष संघों द्वारा बाजार, मेला, एक्सपो, बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बिक्री की जाएगी।

2. कार्यशील पूँजी के व्यय हेतु संघ द्वारा एक कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य बुनकरो को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इसपर कार्यकारिणी समिति की सहमति प्राप्त करेंगे तत्पश्चात् कार्यशील पूँजी की माँग करेंगे। कार्य योजना के अनुसार कार्य करने की पूरी जिम्मेदारी संघ की होगी।

3. कार्यशील पूँजी की माँग के साथ दोनों संघ द्वारा तैयार कार्य योजना जिसपर कार्यकारिणी समिति की सहमति ली गई है, राशि की विमुक्ति हेतु निदेशालय को भेजा जायेगा। निदेशालय की सहमति के उपरान्त कार्यशील पूँजी दोनों संघ को उपलब्ध कराई जायेगी।

4. योजनान्तर्गत प्रत्येक संघ जितनी राशि की माँग करेंगे उतनी राशि स्वयं के साधन स्त्रोत से उनके बैंक खाता में उपलब्ध होने का प्रमाण प्रत्येक संघ को देना होगा।

5. बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना एवं दि बिहार राज्य शीप एण्ड ऊल विभर्स को– ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशी नगर, पटना से प्राप्त प्राप्ति रसीद के आधार पर निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा RTGS के माध्यम से राशि संबंधित संघ के प्रबंध निदेशक को हस्तगत कराया जाएगा।

6. दोनों शीर्ष संघ से संबद्ध प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियाँ जिन्हें कार्यशील पूँजी से उत्पादन कार्य हेतु कच्चे सूत/सिल्क/ऊल यार्न खरीदकर उपलब्ध कराया जाएगा उन समितियों के संबंध में दोनों संघ के कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

7. बैंक खाता का संचालन निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम द्वारा प्राधिकृत उप उद्योग निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना एवं प्रबंधकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में संघ के प्रबंध निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

8. कार्यशील पूँजी के नियमानुसार व्यय हेतु संघ ज़िम्मेवार होगा, जिसे प्रबंध निदेशक सुनिश्चित कराएँगे।

9. दोनो संघों से सम्बद्ध प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियाँ अपनी माँग संघ के कार्यकारिणी समिति से अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार संघ को समर्पित करेंगे।

11. योजनान्तर्गत कार्यशील पूँजी मद में उपलब्ध राशि का उपयोग कच्चा माल जैसे सूत/सिल्क/ऊल यार्न क्रय करने में किया जायेगा। दोनो संघ उच्च गुणवत्ता का सूत/सिल्क/ऊल यार्न राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास निगम के माध्यम से क्रय करेंगे।

12. संघ द्वारा सम्बद्ध समितियों के उत्पादन कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये कच्चे माल तथा सम्बद्ध समितियों से प्राप्त तैयार माल का संधारण अलग–अलग पंजियों में किया जाएगा।

13. प्राथमिक समिति संघ से प्राप्त कच्चे माल से कपड़े उत्पादन हेतु सूत/ऊल यार्न अपने सदस्य बुनकरों को उपलब्ध करायेंगे तथा तैयार माल प्राप्त करेंगे। इसका लेखा संधारण समिति के स्तर पर अलग–अलग संबंधित पंजियों में किया जाएगा।

14. संघ कच्चे माल के बदले में सम्बद्ध समितियों से तैयार माल प्राप्त करेगा तथा अलग–अलग कपड़ों/कम्बल के लिये निर्धारित मजदूरी दर के आधार पर मजदूरी का भुगतान समितियों को करेगा। समिति संघ से प्राप्त मजदूरी देनदारियाँ के आधार पर बुनकरो के बीच वितरित करेगा। मजदूरी प्राप्त करने तथा मजदूरी का भुगतान आदि से संबंधित दस्तावेज का संधारण संघ एवं प्राथमिक समिति के स्तर पर अलग–अलग किया जाएगा।

15. मजदूरी भुगतान सहित सभी प्रकार का लेन–देन बैंक खाता के माध्यम से किये जायेंगे। समिति बैंक खाता के माध्यम से बुनकरो को मजदूरी का भुगतान करेंगे। साथ ही लाभान्वित बुनकर का आधार संख्या एवं मोबाईल नं0 का संधारण करेंगे।

16. कार्यशील पूँजी के व्यय के क्रम में निम्नलिखित पंजियाँ संधारित करनी होगी।

(i) कैश बुक (ii) स्टॉक रजिस्टर (iii) मजदूरी बही (iv) कच्चा माल बही
(v) तैयार माल बही (vi) समितिवार दिये गये कच्चे माल तथा तैयार प्राप्त कपड़ो की बही

17. पंजी तथा लेखा संधारण संघ/समितियों के उप विधि तथा बिहार सहकारी नियमावली के आलोक में किया जायेगा। दोनों संघ निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेंट/विभागीय अंकेक्षक का अंकेक्षण रिर्पोट तथा व्यय राशि का उपयोगिता निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

18. कच्चा माल, प्राप्त तैयार माल तथा मजदूरी भुगतान इत्यादि पंजी की जाँच तथा सत्यापन प्रत्येक माह संघ स्तर पर संघ के प्रबंध निदेशक तथा प्राथमिक समिति के स्तर पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

19. संघ में उपलब्ध कराई गई राशि का लाभांश यूनियन के उप–विधि के अनुसार समानुपातिक ढंग से हिस्सेदारों को हिस्सा के आधार पर देय होगा। प्रशासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया कार्यशील पूँजी राशि का उपयोग संघ द्वारा चक्रशील पूँजी के रूप में किया जायेगा।

20. इस योजनान्तर्गत पूर्व के किसी प्रकार के बकाये, स्थापना मद में राशि का व्यय नहीं किया जाएगा। अन्य मद में व्यय होने की स्थिति में सरकार के निर्णय या विभागीय निर्णय के पश्चात् व्यय राशि सूद सहित वापस किया जा सकेगा।

21. दोनो संघ के प्रबंध निदेशक पंजियों का संधारण सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यकलापो का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह निदेशालय को भेजेंगे। इस योजना का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित कर की जायेगी। निदेशालय स्तर पर प्रत्येक मासिक बैठक में कार्य–कलापो की समीक्षा की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण किया जायेगा।

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1434 पटना, दिनांक– 31/8/16

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विवर्स को– ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1434 पटना, दिनांक– 31/8/16

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।